

SJU - Contact No. +91 9301915303

E-mail ID- sjunion@sjuonline.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से ज्यादा तक

Join SJU

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिनसे छत्तीसगढ़ शासन ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं तीसरा एडवाइजर श्री तयागजी श्रीवास्तव (अधिवक्ता, मनीनीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुं० सी.बी.वर्मा, श्रीमती एकता श्रीवास्तव, श्रीमती रानी लक्ष्मदेवी एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्धकार अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संचालन के अर्हता प्रदान करेंगे। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में तेकर वेतनावर, गरीब, परिवारिका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

आवश्यकता

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैलाना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उन्में संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निश्चित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विभिन्नसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ितों के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिय सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पट्टिए
न्यायसक्शी समाचार-पत्र

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी वेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बंध में शिक्षित एवं संवेदनशील कर्मियों के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। तथा प्राप्ति हेतु संघ समर्थक की जावेगी।
- संघ शासन ने मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ितों की परेशानियों को आसानी से पहुँचाना जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ितों को न्याय दिलाने में समस्त सहायता की करेगा।
- संघ द्वारा संचालित शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिपोर्ट कार्य किया जावेगा, और, उसके तहत गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कृषिओं को दूर करने के लिए कार्यरतला का आवेदन भी करेगा। संघ देश के भूत भित्तों पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करावेगा।

Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से आसानी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU